रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--21

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—21

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20112021-231254
CG-DL-W-20112021-231254

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2021 (कार्तिक 29, 1943)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2021 (KARTIKA 29, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	687
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	777
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	19
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2483
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	3107
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	503
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2249
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	687
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	777
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..........	19
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2483
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations........	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3107
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	503
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2249
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली110001-, दिनांक 22 सितंबर 2021

संकल्प

सं. 11015/1/2019-हिंदी—मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के दोनों विभागों – पशुपालन और डेयरी विभाग एवं मत्स्यपालन विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

1. उक्त समिति का गठन निम्नानुसार होगा:—

1.	मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री	अध्यक्ष
2.	मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य		
4.	श्री परबतभाई सवाभाई पटेल संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री अर्जुनलाल मीना संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6.	श्री इरन्ना कड़ाडी संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
7.	श्री नीरज डांगी संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य		
8.	श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: ग्राम एवं पोस्ट – लोब, थाना-झिरोली, तहसील-कफ़ालीगैर, जिला- बागेश्वर (उत्तराखण्ड) पिन- 900473 स्थानीय पता: 603, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
9.	श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: 'सूर्यकिरण' लक्ष्मीनगर, अभ्यंकर वार्ड, वरोरा, जिला-चंद्रपुर – 442907, महाराष्ट्र	सदस्य

हिंदी सेवी संगठन के प्रतिनिधि		
10.	श्री प्रवीर कुमार गुहराय (सदस्य, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा) स्थायी पता: 9/2, उस्ताद अमीर खान सरणी, हरिदेवपुर, कोलकाता-700082 (प. बंगाल) दूरभाष: 033-24027159, मोबाइल: 09831718446 ई मेल: prabeer.guharoy@yahoo.com, rashtrabhasha@yahoo.in	सदस्य
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि		
11.	श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता मकान सं. – 1107, सेक्टर-4 राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य		
12.	डॉ. अरूण कुमार भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक (हिंदी) ई676-, पॉकेट 03, डीडीए फ्लैट्स, बिंदापुर, द्वारका, नई दिल्ली 110049- मोबाइल नं9868249145 : ई मेल -:drarundu02@gmail.com	सदस्य
13.	डॉ. राजीव रंजन गिरि, सहायक प्राध्यापक (हिंदी) बी-1171, ग्राउंड फ्लोर, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121010 दूरभाष नं25116988-011 -:, 25930752 मोबाइल नं 9868175601 -: ई मेल -:Rajeev.ranjan.giri@gmail.com Rajeev.giri@rajdhani.du.ac.in	सदस्य
14.	डॉ .प्रभात ओझा, ई25-, फ्लैट संख्या3-, गली संख्या17- हिंडन विहार, सेक्टर49-, नोएडा201301- मोबाइल नं8920539308 :., 8588833175 ई मेल -:ojhaprabhat1@gmail.com	सदस्य
15.	श्री चंदन कुमार, प्रोफेसर कमरा सं247-., कला संकाय, एक्सटेंशन बिल्डिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली110007- दूरभाष27666628-011 -: मोबाइल9312278999 - ई मेल -:dr.chandanchaubey@gmail.com	सदस्य
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य		
16.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्लॉट संख्या 309-, रिहाड़ी कॉलोनी, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180005- मोबाइल नं 9419117569 :.	सदस्य
17.	प्रो. (डॉ.) एन.जी.देवकी, ईशावास्यम, पुलिमुकल रोड, चंगमपूषा नगर (पी.ओ.) कोचीन, केरल-682033	सदस्य

18.	डॉ. (श्रीमती) बिनय षडंगी राजाराम, एच8-, 'सप्तवर्णी', सूर्या परिसर, सर्वधर्म सी-सेक्टर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, कोलार मार्ग, भोपाल, मध्य प्रदेश462042-	सदस्य
सरकारी सदस्य		
19.	सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग	सदस्य
20.	सचिव, मत्स्यपालन विभाग	सदस्य
21.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
22.	पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव (एनएलएम), पशुपालन और डेयरी विभाग	सदस्य
24.	संयुक्त सचिव (एलएच), पशुपालन और डेयरी विभाग	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव (सीडीडी), पशुपालन और डेयरी विभाग	सदस्य
26.	संयुक्त सचिव (इनलैण्ड), मत्स्यपालन विभाग	सदस्य
27.	संयुक्त सचिव (मरीन), मत्स्यपालन विभाग	सदस्य
28.	संयुक्त सचिव (राजभाषा), गृह मंत्रालय	सदस्य
29.	संयुक्त सचिव (राजभाषा), पशुपालन और डेयरी विभाग	सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य:

इस समिति का कार्य राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीति के कार्यान्वयन और मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है।

3. गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता:

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने पर संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

(ख) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित/ निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

4. कार्यकाल:

समिति का कार्यकाल सामान्यत: उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष तक होगा बशर्ते कि:—

(क) जो सदस्य संसद सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे उन पदों पर आरूढ़ रहेंगे जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य बने हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्ति पर नियुक्त होने वाला सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

5. सामान्य:

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यदि समिति आवश्यकता समझे तो अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गिरजा नन्द सिंह
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2021

विषय: उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजनार्थ कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा अर्हताओं के संबंध में भारत के स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित अर्हता/पाठ्यक्रम/परीक्षा की समतुल्यता—के संबंध में।

सं. एफ.11-3/2016-स्कूल.3 —सरकार के यह संज्ञान में आया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और केंद्रीय/ राज्य सरकार में रोजगार के संबंध में भारत के स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की समतुल्यता के संबंध में छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2. उपरोक्त मुद्दे के समाधान के लिए, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एतद द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और भारत की केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजनार्थ, कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा अर्हता (जैसा लागू हो), के संबंध में भारत के माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा बोर्डो द्वारा अपने छात्रों को प्रदान किए गए माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण पत्र को समतुल्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) को सौंपता है। यह प्रावधान संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम, या केंद्रीय/राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार के निकायों/संस्थानों द्वारा (जिन्हें ऐसा करना अधिदेशित है) स्थापित सरकारी और निजी दोनों भारतीय स्कूल बोर्डों पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लागू होगा:

क. इस कार्य को करने के लिए एआईयू अपनी क्षमता में समुचित रूप से वृद्धि करेगा।

ख. इस कार्य को करने के लिए एआईयू शिक्षा मंत्रालय से किसी प्रकार के फंड/अनुदान की मांग नहीं करेगा।

ग. इस प्रयोजनार्थ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से भारत के सभी स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

घ. एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक स्कूल शिक्षा बोर्ड शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, मौजूदा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ) का अनुसरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) का अनुपालन कर रहा है और यह कि बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के शिक्षको के पास राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अर्हताएं हैं।

ङ. ऐसी समतुल्यता प्रदान करते समय एसओपी यह भी सुनिश्चित करेगा कि सम्यक समुचित प्रक्रिया सख्त हो और मौजूदा एनसीएफ पर आधारित हो, परीक्षाओं और संबद्धता की स्पष्ट योजना/उप-नियम हो और स्कूल बोर्डों पर लागू अन्य सभी मौजूदा कानूनों/नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं का पालन करती हो।

च. एक बारगी उपाय के रूप में, एआईयू एसओपी जिसकी कार्यान्वयन से पूर्व उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी, का मसौदा तैयार करने के लिए यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस तथा अन्य सदस्यों जैसा एआईयू उपयुक्त समझे, सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा।

3. एआईयू द्वारा प्रदान की गई समतुल्यता को अंतर-विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सुचारू प्रवसन की अनुमति के रूप में एवं स्वत: रूप से भारत के बोर्डों के परस्पर समानता के रूप में देखा जाएगा। एआईयू द्वारा स्कूली शिक्षा बोर्डों को प्रदान की गई समतुल्यता उच्चतर शिक्षा और रोजगार के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय स्तर पर मान्य होगी।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

विभूति एन शुक्ला
उप सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING)

New Delhi-110001, the 22nd September 2021

RESOLUTION

No.11015/1/2019-Hindi—It has been decided to constitute the Joint Hindi Salahkar Samiti of the Department of Animal Husbandry and Dairying and Department of Fisheries under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying:—

1. The composition of the Samiti will be as follows:—

1.	Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	Chairman
2.	Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	Vice-chairman
3.	Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	Vice-chairman

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

4.	Sh. Parbatbhai Savabhai Patel Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
5.	Sh. Arjunlal Meena Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
6.	Sh. Iranna Kadadi Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
7.	Sh. Niraj Dangi Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member

Members of Parliament nominated by the Committee of Parliament on Official Language

8.	Sh. Pradeep Tamta, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address : Vill. & Post – Lob, P.S. – Jhiroli, Tahseel- Kafaligair, Distt. – Bageshwar (U.K.) Pin- 900473 Local Address – 603, Brahmaputra Apartment, Dr. B.D. Marg, New Delhi.-110001	Member
9.	Sh. Balubhau Dhanorkar alias Suresh Narayan Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address – “Suryakiran” Laxmi Nagar, Abhyankar ward, Varora, Distt. Chandrapur-442907, Maharashtra	Member

Representative of Voluntary Hindi Organization

10.	Sh. Pravir Kumar Guhrai (Member, Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha) 9/2, Ustad Amir Khan Sarni, Haridevpur, Kolkata-700082 (W. Bengal) Telephone: 033-24027159, Mobile: 09831718446 E-Mail: prabeer.guharoy@yahoo.com, rashtrabhasha@yahoo.in	Member

Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

11.	Sh. Gajendra Singh, Assistant Engineer House No. – 1107, Sector-4 Rama Krishna Puram, New Delhi	Member

Non-Official Members nominated by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

12.	Dr. Arun Kumar Bhardwaj, Assistant professor (Hindi) E-676, Pocket 03, DDA Flats, Bindapur, Dwarka, New Delhi-110049 Mobile No.: 09868249145 E-Mail:- drarundu02@gmail.com	Member

13.	Dr. Rajeev Ranjan Giri, Assistant professor (Hindi) B-1171, Ground Flour, Green Field Colony, Faridabad, Haryana-121010 Telephone No.: 25116988-011, 25930752 Mobile No.:- 9868175601 E-Mail:- Rajeev.ranjan.giri@gmail.com Rajeev.giri@rajdhani.du.ac.in	Member
14.	Dr. Prabhat Ojha, E-25, Flat no. – 3, Street No. -17, Hindan Vihar, Sector-49, Noida-201301 Mobile No.:- 8920539308, 8588833175 E-Mail:- ojhaprabhat1@gmail.com	Member
15.	Sh. Chandan Kumar, Professor Room No.-247, Kala Sankay Extension Building, Delhi University, Delhi Telephone No.: 27666628-011 Mobile No.:- 9312278999 E-Mail:- dr.chandanchaubey@gmail.com	Member

Non Official Members nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

16.	Sh. Ashok Kumar Gupta, Retd. Prof. Plot No.- 309, Rihadi Colony, Jammu, Jammu & Kashmir-180005 Mobile No.:- 9419117569	Member
17.	Prof. (Dr.) N.G. Devki, Ishavasyam, Pulimukal Road, Changampusha Nagar (P.O.), Kochin, Kerala-682033	Member
18.	Dr. (Smt.) Binay Shadangi Rajaram, H-8, ‘Saptvarni’, Surya parisar, Sarvdharam C-Sector, Dr. Shyama Prasad Mukharji Nagar, Kolar Marg, Bhopal, Madhya Pradesh-462042	Member

Official Members

19.	Secretary, Department of Animal Husbandry & Dairying	Member
20.	Secretary, Department of Fisheries	Member
21.	Secretary, Department of Official Language	Member
22.	Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry & Dairying	Member
23.	Joint Secretary (NLM), Department of Animal Husbandry & Dairying	Member
24.	Joint Secretary (LH), Department of Animal Husbandry & Dairying	Member
25.	Joint Secretary (C&DD), Department of Animal Husbandry & Dairying	Member
26.	Joint Secretary (Inland), Department of Fisheries	Member
27.	Joint Secretary (Marine), Department of Fisheries	Member
28.	Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
29.	Joint Secretary (Official Language), Department of Animal Husbandry & Dairying	Member Secretary

2. Functions of the Samiti:

The function of the Samiti is to render advice with regard to the implementation of the policies laid down by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs regarding the use of Hindi for official purposes and also with regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

3. Travelling allowance and daily allowance to non-official members:

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per the provisions in the ‘Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954’ and amendments issued from time to time and rules made there under vide Department of official Language Office

Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2) dated 3 February, 2006 for participating in meetings of the Samiti.

(b) The non-official members of the Samiti shall be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Samiti in accordance with the guidelines contained in the Department of Official Language Office Memorandum No. 11/20034/4/86-O.L.(A-2) dated 22 January, 1987 and at the rates fixed by the Government of India under the rules and as amended from time to time.

4. Tenure:

The tenure of the Samiti shall be generally three years from the date of its constitution, provided that:

(a) A member, who is a Member of Parliament, will cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to the death, resignation etc. of any member, the member appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of three years.

5. General:

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary it may hold its meetings at any other place also.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be communicated to the Prime Minister’s Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, President’ s Secretariat, Vice-President’s Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Union Public Service Commission, Principal Pay & Accounts Office, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, all Attached & Subordinate Offices and Public Sector Undertakings etc. of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and all Ministries & Departments of the Government of India.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GIRJA NAND SINGH
Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the15th November 2021

Subject: Equivalence of Qualification/Course/Examination conducted by School Education Boards of India to grade 10 and 12 Board examination qualifications, for the purpose of admission in higher education institutions and employment under Central/State Government—reg.

No. F.11-3/2016-Sch.3—It has come to the notice of Government that difficulties are being faced by students in respect of equivalence of certificates issued by School Education Boards in India for the purposes of admissions in higher education institutions and employment in Central/State Government.

2. To address the above issue, Department of School Education & Literacy in consultation with Department of Higher Education, Ministry of Education, hereby entrusts the responsibility of granting equivalence to Secondary/Senior Secondary certificate awarded by Secondary/Senior Secondary School Examination Boards in India, with grade 10 and 12 Board examination qualifications (as maybe applicable), for the purpose of admission of its students to higher education institutions and for the purpose of Central/State Government employment in India, to Association of Indian Universities (AIU). This provision will be applicable to both Government and private Indian School Boards, that are set up by an Act of Parliament or state legislature, or by an Executive order of the central/state government or set up by central/state government bodies/institutions that have the mandate to do so, subject to the following conditions:

a. AIU will appropriately enhance its capacity to undertake this task.

b. AIU shall not seek any funds / grants from the Ministry of Education for this task.

c. A Standard Operating Procedure (SOP) will be prepared for this purpose for all school boards in India in consultation with Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education, Ministry of Education.

d. The SOP shall ensure inter alia that the applicant School Education Board is following the Right to Education (RTE) Act, extant National Curriculum Framework (NCF) and is National Education Policy (NEP-2020) compliant and

that the teachers in schools affiliated to the Board possess qualifications as laid down by National Council for Teacher Education (NCTE).

e. The SOP shall also ensure that the due diligence process is rigorous and is based on the extant NCF, a clear-cut scheme/bye-laws of examinations and affiliation and follows all other extant laws/rules/regulations/processes applicable to School Boards while granting such equivalence.

f. As one time measure, AIU shall constitute an expert committee comprising representatives from UGC, AICTE, NCERT, CBSE, NIOS and other members as deemed fit by AIU for drafting the SOP that shall be examined by the Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education, Ministry of Education prior to implementation.

3. Equivalence granted by AIU will be automatically considered as inter-se parity between the Boards in India, permitting smooth Inter-School Education Board migrations. The equivalence given by AIU to a School Education Boards shall be valid at all India level for the purpose of higher education and employment.

4. This issues with the approval of Competent Authority.

VIBHUTI N SHUKLA
Deputy Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2021.11.20 09:54:35 +05'30'